इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शनिवार, दिनांक 17 जनवरी 2015—पौष 27, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए 3-82-2014-1-पांच, (06).—यत:, राज्य सरकार यह समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5-क में बासमती धान के सीमित संदर्भ में अंक और शब्द "(10) दस करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "(50) पचास करोड़ रुपये" स्थापित किए जाएं.

2. यह संशोधन 11 दिसम्बर 2014 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2015

क्र. ए 3-82-2014-1-पांच, (06).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-82-2014-1-पांच, (06), दिनांक 17 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th January 2015

No. F-A3-82-2014-1-V (06).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 Should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the limited context of Basmati Dhan in rule 5-A for the words "rupees ten crores", the words "rupees fifty crores" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force form 11 December 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.